

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 2136 /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 24 जुलाई, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री अख्तर अली, पूर्व उपप्रधान, C/O ताहिर हसन, ग्राम ढाकी (प्राथमिक स्कूल के समीप) पो० सहसपुर, देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

toe

पृ०संख्या 2136 /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री अख्तर अली, पूर्व उपप्रधान, C/O ताहिर हसन, ग्राम ढाकी (प्राथमिक स्कूल के समीप) पो० सहसपुर, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

toe

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड सरकार

देहरादून

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत सूचना चाहने के सम्बन्ध में।

महोदय जी,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 12-08-2016 को विकास खण्ड रायपुर के अर्न्तगत ग्राम पंचायत धानों के ग्राम प्रधान चुनाव से सम्बन्धित प्रत्याशी पूनम w/o अमरेश शर्मा का पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र अवेध था। जिसको पुनः जांच कर पुनः चुनाव करवाने के सम्बन्ध में आपको पत्र लिखा था परन्तु उस पर निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके सम्बन्ध में प्रार्थी को कृतकार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें। प्रार्थी पत्र के साथ चुनाव से सम्बन्धित पत्र संलग्न कर रहा है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप प्रार्थी को

निर्धारित समय के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

श्री सेमवाल

कृपा को - 3

राज्य निर्वाचन आयोग को दस्तखत (पत्र) है

प्रेषित करें।

BW
20-7-2017
P.I.O.

प्रार्थी AKUtar44

पूर्व उपप्रधान
अखतर अली E/O

ताहिर हसन

ग्राम - ढाकी (प्राथमिक स्कूल)

पो.ओ. - सफ़सप, के समीप

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड सरकार

देहरादून

विषय :- विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धानों के प्रधान पदों के नामांकन पत्रों की जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय जी,

सादर निवेदन है कि विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत धानों में प्रधान पद का चुनाव दि० २५-०६-२०१५ को सम्पन्न हुआ था। यह प्रधान सीट अन्य पिछड़ा वर्ग महिला से सम्बन्धित आरक्षित था। इस प्रधान पद के लिए तीन महिला पत्याश्रीयों ने चुनाव लड़ा था। १- नफीशा खातून w/o अरव्तर अली २- निताशा w/o अनूप भिडोला ३- पुनम तिवारी w/o अमरेश तिवारी नामक तीन महिला पत्याश्रीयों ने चुनाव लड़ा था। मतगणना के अनुसार प्राथिनी नफीशा खातून w/o अरव्तर अली को १०० मत, प्रत्याशी निताशा भिडोला को १०० मत, तथा पुनम तिवारी w/o अमरेश तिवारी को ५० मत प्राप्त हुए। मतगणना अधिकारी के द्वारा पत्रों के माध्यम से निताशा भिडोला w/o अनूप भिडोला को प्रधान पद पर विजय घोषित किया गया है। जबकि नामांकन पत्रों की जाँच समय रहते चुनाव कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उचित प्रकार से नहीं की गई।

जबकि प्रत्याशी पुनम w/o अमरेश तिवारी का जाति प्रमाण पत्र उचित था। क्योंकि जो पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ संलग्न किया गया है। वह टिहरी जिले से बना है। जबकि चुनाव लड़ा देहरादून से। यह जाति प्रमाण पत्र २०१३ में बनाया गया। यह केवल केन्द्रिय सरकारी सेवाओं के लिए मान्य है। चुनाव लड़ा गया वर्ष २५-६-२०१५ को। प्राथिना पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न है।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भ्रष्टाचार जाति प्रमाण पत्र की जाँचकर उचित कार्यवाही कर वर्तमान प्रधान पद निरस्त कर पुनः चुनाव करने की कृपा करें।

प्राथिनी - नफीशा
नफीशा w/o अरव्तर अली
ग्राम व पी० ओ० - धानों
विकास खण्ड - रायपुर
देहरादून

कार्यालय नरनाकरगढ़, गांधीय अर्नाली, डिस्ट्री गढ़वाल



भारत सरकार की सेवाओं के लिए अन्य मिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या - 0906041302332

दिनांक - 22/07/2013

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी पूनम पुत्री श्री चिंरजीलाल, माना श्रीमती सुषमा देवी निवासी ग्राम
केलवाणगांव, पट्टी सकलाना, की उाजानि जौनपुरी समुदाय है, जियं भारत सरकार कल्याण संभाग के मकल
संख्या - 12011/68/93-वी0सी0सी0(सी) दिनांक 10-09-1993 वां भारत सरकार के अाधार्ण राजपत्र भाग एक,
खण्ड - एक, संख्या - 186 दिनांक 13-09-1993 में प्रकाशित हुआ है। मिछड़ी जाति के रूप में मान्यता दी गयी है।
कुमारी पूनम तथा / अथवा उनका परिवार गांधीनगा जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या -
36012/22/93 - संख्या0 (अनु0जा0) दिनांक 08-09-1993 की अनुसूची के कालम - 3 में उल्लिखित व्यक्ति / अर्णी/
(सम्बन्ध वर्ग) के अन्तर्गत नंदी आता है। राजस्व निरीक्षक/पट्टवारी की आख्यानुसार जागी जिया जिया



स्थान

महान

हस्ताक्षर

पदनाम



भारत सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा।



[Handwritten signature]
 थानी
 रायपुर
 24/9

दिनांक

प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

बी.पी.एल सूची क्रमांक - 2461

परिवार के महिला मुखिया का नाम श्रीमती नफीसा
 भ्रूण/पति का नाम श्री अस्तर अली
 पता मकान नं. थानी मौहल्ला/वार्ड संख्या
 नाम राजस्व ग्राम थानी संख्या
 शहर/ग्राम सभा थानी वि. ख. रायपुर तहसील प्रतिवेश
 परिवार के मुखिया का व्यवसाय मजदूरी
 परिवार की कुल वार्षिक घोषित आय 12000/र
 एल.पी.जी. कनेक्शन संख्या
 एस.बी.सी. डी.बी.सी. गैस नहीं है ✓
 गैस एजेंसी/कम्पनी का नाम
 मास्टर/काउन्टर रजिस्टर का क्रमांक
 दुकान रजिस्टर का क्रमांक 3
 प्राधिकृत राशन विक्रेता का नाम श्री/श्रीमती मनोज कुमार थानी
 नवीनीकरण की दशा में पूर्व राशन कार्ड का नम्बर 10222/00
 कार्ड धारक का मोबाईल नम्बर 503015
 कार्ड धारक का वोटर आई.डी. नम्बर UP/01/423/545025
 कार्ड धारक का यू.आई.डी. नम्बर
 कार्ड धारक का बैंक खाते संख्या
 बैंक का नाम तथा शाखा
 यूनियनों का विवरण वि. अ. अधिकारी अकों में 6 शब्दों में ह:
थानी रायपुर
 विकास खण्ड रायपुर
 दिनांक ला देहरादून ह. खाद्य अधिकारी पद नाम मोहर सहित